(21)

संख्या– 847 /XXVIII–5–2011–15/2006

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5

देहरादून, दिनांक: 04 जुलाई 2011

विषयः **100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय खटीमा, जनपद उधमसिंह नगर के भवन कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–256/XXVIII–5–2006–15/2006, दिनांक 29.04.2006 एवं शासनादेश संख्या–450/XXVIII–5–2009–15/2006,दिनांक 06.07.2009 तथा आपके पत्र सं0–7प/1/सी0एच0सी0/54/2006/17465, दिनांक 07.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय खटीमा, जनपद उधमसिंहनगर के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत ₹1027.19 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹254.41 के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में ₹192.48 लाख (रूपये एक करोड बनायबे लाख अड़तालीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए, निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर निर्माण ईकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम हल्द्वानी, जनपद नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृति संबंधी मूल शाासनादेश की सभी शर्ते यथावत् रहेंगी।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में पुनरीक्षित स्वीकृति की समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा। स्वीकृत कार्यो में से आरम्भ किये गये कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय, सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर, किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा। किसी भी विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

.....2

8– अवशेष कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा एवं कार्य को अनवरत् बनाये रखा जायेगा। अवशेष धनराशि की प्रत्याशा में कार्य को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा। इस हेतु कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

9– कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया जाय।

10– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 05–तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा–00–आयोजनागत, 24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 86(पी0)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 29 जून, 2011 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या-947 (1)/XXVIII–5–2011–15/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– जिलाधिकारी, उधमसिंह नगर।
6– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, उधमसिंह नगर।
8– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंह नगर।
9– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
10– निजी सचिव, मा0 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।
11– क्षेत्रीय प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
12– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
13– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
14– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
15– गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।